



2026:AHC-LKO:8838-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 84/2026

दया शंकर

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, लखनऊ एवं 6 अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – गोविन्द कुमार चौरसिया

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, पंकज गुप्ता

न्यायालय संख्या – 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय

माननीय न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी

1. वाद सुना गया।
2. अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री निशांत शुक्ला का कथन है कि सड़क के किनारे बन रही 'नाली' को उसके निर्देशों के अनुसार ही ढका जाएगा, इसलिए याचिकाकर्ता की आशंका निराधार है।
3. यदि याचिकाकर्ता को कोई शिकायत है, तो वह नाली निर्माण का कार्य कर रही संबंधित जिला पंचायत से संपर्क कर सकता है, लेकिन हमें आगे कोई कार्यवाही करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता।
4. वाद निस्तारित किया जाता है।

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति राजन रॉय)

5 फरवरी, 2026

एमवीएस/-